



## जैव विविधता ढाँचा और आदवासी समुदाय

### प्रलिस के लयल:

जैव वलवधलता पर संयुक्त राष्ट्र सडडेलन, आदवासी, 2020 के बाद वैश्वकल जैव वलवधलता फ्रेडवरक, जैव वलवधलता पर अंतर्राष्टरीय स्वदेशी डंच

### डेनूस के लयल:

आदवासी और उनकी कठनलडयल 2020 के बाद वैश्वकल जैव वलवधलता फ्रेडवरक, जैव वलवधलता पर अंतर्राष्टरीय स्वदेशी डंच

## चरुा डें कयलें?

हलल ही डें जैवकल वलवधलता पर [संयुक्त राष्ट्र अभसडडय \(CBD\)](#) के डकषकारल के 15वें सडडेलन (COP-15) डें [आदवासी डुगलें](#) का डुरतनलधलतलतुव करने वलले ँक सडुह ने जुर देकर कहा कवलरुष 2020 के बाद [गुलुडल डलडुडलडडरसुडलल डुरेडवरक \(GBF\)](#) कु आदवासी डुगलें और स्थलनीय सडुडलडुडल (IPCL) के अधकलरल कल सडडलन, संवरुधन और सडरुथन करने डर कलड करनल कलहयल ।

- जैव वलवधलता पर अंतर्राष्टरीय आदवासी डंच (IIFB) के सदसुडलें ने डी आदवासी सडुडलडुडल के अधकलरल के लयल डल दयल गयल है ।

## आदवासी डुगलें दवलरल तनलवगुरसुत डुरडुख कषुतर:

- आदवासी सडुडलडुडल, कु हमेशल जैव वलवधलता के डुरडुख संरकुषक रहे हैं, उनके अधकलरल कु डी डहकलनने और संरकुषतल करने की आवशुडकतल है ।
- GBF कु आदवासी सडुडलडुडल के लयल, "डलनलवधकलर-आधलरतल दृषुतकुलुगुण अडनलते हुड, वशुष डुड से आदवलसलडुडल के सलडुहकल अधकलरल, लैगकल सडलनतल, सुरकुषल और डुरतल व डसके अतरलकलत उनके अधकलरल की रकुषल के लयल नवीन तरलकुडल की तललशल करनल कलहयल ।
- 2020 के बाद GBF के करुडलनवडडन डें सुवतंतरुतल, डुरव और सुकलतल सडहडतल के सदुधलंतुडल कल सडडलन करते हुड डलरडुरकल कुडलन, डुरथलडुडल और तकनीकुडल कु शलडलल कडलडल कललल कलहयल ।

## जैव वलवधलता संरकुषण डें आदवासी सडुडलडुडल की कडुडल डुडकलल है?

- डुरलकुतकल वनसुडतडुडल कल संरकुषण:
  - आदवासी सडुडलडुडल दवलरल डेडुडल कु देवी-देवतलडुडल के नवलस स्थलन के डुड डें देखे कलने से कुडुडल धलरडुडकल वशुवलस वनसुडतडुडल के डुरलकुतकल संरकुषण कु डुडलवल देतल है ।
  - डसके अलवल, कडुडल डसललुडल, कुंगली डललुडल, डीक, कंद-डुल आदवलडुडलनलन डुरकर के डुडुडल कल कुनकलतुडल और आदवासी डुगलें दवलरल संरकुषण कडलडल कलतल है कडुडलकुडल अडनल खलदुडल कुडुरतुडल के लयल डन सुडुडलडुडल डर नरलडर है ।
- डलरडुरकल कुडलन कल अनुडुरडुगुण:
  - आदवासी डुगुण और जैव वलवधलता ँक-दूसरे के डुरक है ।
  - सडडड के सलथ गुरलडुण सडुडलडुडल ने ँषुधुड डुडुडल की खेती और उनके डुरकलर के लयल आदवासी डुगलें के सुवदेशी कुडलन कल डुडडुग कडलडल है ।
  - डन संरकुषतल डुडुडल डें कडुडल सुडुडल और डकुडुडल के कलडने डल टुटी हडुडलडुडल व आरुथुडेडकल डुडकलर के लयल डुरडुगुण डें ललड कलने डुडुडल डी शलडलल है ।

## आदवासी सडुडलडुडल की कुनलतडुडलडुडल:

- डुरकुतल और स्थलनीय डुगलें के डुडक वुडवधलन: जैव वलवधलता की रकुषल हेतु स्थलनीय डुगलें कु उनके डुरलकुतकल आवलस से अलग करने से कुडुडल दृषुतकुलुगुण ही उनके और संरकुषणवलदडुडल के डुडक संघरुष कल डुल करलण है ।
  - कसलडुडल डी डुरलकुतकल आवलस कु ँक वशुवल धरुडुडल सुथल (World Heritage Site) के डुड डें कलनलतल कडलडल कलने के सलथ हीडुनेसकु (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) उस कषुतर के संरकुषण कल डुरडलर ले लेतल है ।
  - डह संडुधतल कषुतरुडुडल डें डलहरी डुगलें और तकनीकी डुडकरणुडल के डुरवेश (संरकुषण के उदुदेशुड से) कु डुडलवल देतल है, कु स्थलनीय डुगलें के डुडव

को बाधति करता है।

- **वन अधिकार अधिनियम का शक्ति कार्यान्वयन:** **वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act- FRA)** को लागू करने में भारत के कई राज्यों का प्रदर्शन बहुत ही नरिशाजनक रहा है।
  - इसके अलावा वभिन्न संरक्षण संगठनों द्वारा **FRA की संवैधानिकता** को कई बार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है।
    - एक याचिकाकर्ता द्वारा **सर्वोच्च न्यायालय** में यह तर्क दिया गया कि कर्कोक संविधान के **अनुच्छेद-246 के तहत भूमिको राज्य सूची का वषिय माना गया है, ऐसे में FRA को लागू करना संसद के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।**
- **वकिस बनाम संरक्षण:** अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि सरकार द्वारा वकिस के नाम पर बाँध, रेलवे लाइन, सड़क वदियुत संयंत्र आदिके नरिमाण के लिये आदविसी समुदाय के पारंपरिक प्रवास क्षेत्र की भूमिका अधगिरहण कर लयिा जाता है।
  - इसके अलावा इस प्रकार के वकिस कार्यों के लिये आदविसी लोगों को उनकी भूमि से ज़बरन हटाने से पर्यावरण को क्षति होने के साथ-साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

## पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क

### परचिय:

- पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क **जैव वविधिता के लिये रणनीतिक योजना 2011-2020 पर आधारति है।**
  - जैसा कि जैव वविधिता पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2011-2020 समाप्त हो रहा है, **प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतरराष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN)** एक महत्वाकांक्षी नए वैश्विक जैव वविधिता ढाँचे के वकिस के लिये सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

### लक्ष्य और उद्देश्य:

- वर्ष 2050 तक नए फ्रेमवर्क के नमिनलखिति चार लक्ष्यों को प्राप्त कयिा जाना है:
  - जैव वविधिता के वल्लिपुत होने तथा उसमें गरिवट को रोकना।
  - संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिये प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाने और उन्हें बनाए रखना।
  - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लिये उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना।
  - वर्ष 2050 के वजिन को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वतितीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना।
- **2030 कार्य-उन्मुख लक्ष्य:** 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिये इस फ्रेमवर्क में 21 कार्य-उन्मुख लक्ष्य हैं।
  - उनमें से एक है संरक्षति क्षेत्रों के तहत वशिव के कम-से-कम 30% भूमि और समुद्र क्षेत्र को लाना।
  - **आक्रमक वदिशी प्रजातियों की शुरुआत की दर में 50% से अधिक कमी** और उनके प्रभावों को खत्म करने या कम करने के लिये ऐसी प्रजातियों का नयितरण या उन्मूलन।
  - **पर्यावरण के लिये नुकसानदेह पोषक तत्वों को कम से कम आधा** और कीटनाशकों को कम से कम दो तह्रिई कम करना, और प्लास्टिक कचरे के नरिवहन को समाप्त करना।
  - प्रतविरष कम से कम 10 GtCO<sub>2e</sub> (गीगाटन समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड) के वैश्विक **जलवायु परिवर्तन** शमन प्रयासों में प्रकृति-आधारति योगदान और सभी शमन तथा अनुकूलन प्रयास जैववविधिता पर नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं।

## जैव वविधिता पर अंतरराष्ट्रीय आदविसी मंच (IIFB):

- IIFB आदविसी सरकारों, आदविसी गैर-सरकारी संगठनों, आदविसी वदिवानों और कार्यकर्त्ताओं के प्रतनिधियों का एक समूह है जो CBD और अन्य महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय बैठकों में संगठति होते हैं।
- इसका उद्देश्य बैठकों में आदविसी रणनीतियों के समन्वय में मदद करना, सरकारी दलों को सलाह प्रदान करना और ज्ञान तथा संसाधनों के आदविसी अधिकारों को पहचानने एवं सम्मान करने के लिये सरकारी दायित्वों को प्रभावति करना है।।
- IIFB का गठन नवंबर 1996 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में **कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (CoP III)** के पक्षकारों के तीसरे सम्मेलन के दौरान कयिा गया था।

## आगे की राह:

### स्वदेशी लोगों के अधिकारों को मान्यता देना:

- संबद्ध क्षेत्र की समृद्ध जैव वविधिता को संरक्षति करने के लिये, **वनों पर नरिभर रहने वाले वनवासियों के अधिकारों की मान्यता** उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जतिनी कि वशि्व वरिसत स्थल के रूप में प्रकृतिक आवास की घोषणा।

### FRA का प्रभावी कार्यान्वयन:

- देश के अन्य सभी लोगों की तरह समान नागरिक जैसा व्यवहार करते हुए सरकार को इस क्षेत्र में अपनी **एजेंसियों और वनों पर नरिभर रहने वाले उन लोगों के बीच वशिवासपूर्ण संबंध स्थापति करने का प्रयास करना चाहयि।**

### संरक्षण के लिये जनजातीय लोगों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान:

- **जैव वविधिता अधिनियम, 2002** स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण का उल्लेख करता है।
  - अतः सभी हतिधारकों को यह समझना चाहयि कि **स्वदेशी लोगों का पारंपरिक ज्ञान जैव वविधिता के अधिक प्रभावी संरक्षण**

हेतु बहुत महत्त्वपूर्ण है।

■ आदवासी, वन वैज्ञानिक:

- आदवासी आमतौर पर **सर्वश्रेष्ठ संरक्षणवादी** माने जाते हैं क्योंकि वे प्रकृति से आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं।
- उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों के संरक्षण का सबसे सस्ता और तेज़ तरीका **जनजातीय लोगों के अधिकारों का सम्मान करना** है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

**प्रश्न.** मुख्यधारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदवासी ज्ञान प्रणाली की वशिष्टता की जाँच कीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/biodiversity-framework-indigenous-people>

